बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग
संकल्प

संख्या-5/आ04-1010/2020- 1956 पटना, दिनांक- 07/10/26

श्री कैलाशपति राम, तत0 कनीय अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, किशनगंज सम्प्रति सहायक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अवर प्रमंडल, बगहा, प्रमंडल, बेतिया के विरूद्ध मो0 साहिल बाबू, पिता-मो0 मुनाजिर आलम, ग्राम-कचुनाला, गुवाबाड़ी, पो0-मंगुरा, थाना-दिघल बैंक, जिला-किशनगंज द्वारा ऑपरेटर बहाली के नाम पर कुल ₹1,43,000.00(एक लाख तैतालिस हजार) धोखाधड़ी कर राशि वसूलने का आरोप लगाया गया। इसके अतिरिक्त अन्य दो परिवादियों यथा मो0 अजहर आलम एवं मो0 रौनक यजदानी, जिला-किशनगंज द्वारा भी द्वारा ऑपरेटर बहाली के नाम पर कुल ₹80,000.00(अस्सी हजार) धोखाधड़ी कर राशि वसूलने का आरोप लगाया गया।

02. प्राप्त परिवाद पत्र के आलोक में दोनों पक्षो को सुनने हेतु दिनांक-22.09.2021 की तिथि निर्धारित की गयी थी। उक्त सुनवाई में परिवादी Video conferencing के माध्यम से उपस्थित हुए तथा उनके द्वारा अपना पक्ष रखा गया। उक्त सुनवाई में श्री कैलाशपति राम द्वारा पैसे की लेन-देन की बात स्वीकार की गयी।

03. श्री राम द्वारा पैसे की लेन-देन की बात स्वीकार किये जाने के आलोक में उनके विरूद्ध आरोप पत्र गठित करते हुए विभागीय पत्रांक-47, दिनांक-06.01.2022 द्वारा उनसे स्पष्टीकरण की माँग की गयी, जिसके आलोक में श्री राम के पत्रांक-शून्य, दिनांक-21.02.2022 द्वारा स्पष्टीकरण विभाग को समर्पित किया गया, जिसमें उनके द्वारा यह उल्लेख किया गया कि दिनांक-22.09.2021 एवं 23.09.2021 को अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव के समक्ष की गयी सुनवाई में मो० शाहिल बाबू से संबंधित मामले को खत्म कर दिया गया था तथा परिवादी मो० रौनक यजदानी एवं अजहर आलम से उनके द्वारा किसी प्रकार की लेन-देन नहीं की गयी थी।

04. श्री राम से प्राप्त स्पष्टीकरण के समीक्षोपरांत विभागीय पत्रांक-1060, दिनांक-20.07.2022 एवं कतिपय स्मार पत्रों द्वारा परिवादी मो० शाहिल बाबू, मो० रौनक यजदानी एवं मो० अजहर आलम से श्री राम के स्पष्टीकरण पर मंतव्य की मांग की गयी परन्तु उन परिवादियों द्वारा मंतव्य उपलब्ध नहीं कराया गया।

05. तत्पश्चात विभागीय पत्रांक-321, दिनांक-05.02.2025 द्वारा अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल, पूर्णियाँ से श्री राम के स्पष्टीकरण पर स्पष्ट मंतव्य की मांग की गयी, जिसके आलोक में अधीक्षण अभियंता, पूर्णियाँ के पत्रांक-1125, दिनांक-05.09.2025 द्वारा वांछित मंतव्य उपलब्ध कराया गया, जिसमें उनके द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि परिवादी मो० शाहिल बाबू द्वारा श्री राम को काम के एवज में दिये गये 1,43,000/- रूपये वापस कर दिये गये हैं तथा परिवादी मो० रोनक एवं मो० अजहर आलम से श्री राम द्वारा काम के एवज में रूपये का लेन-देन का मामला प्रतीत नहीं होता है।

06. परिवादी मो० शाहिल बाबू से पम्प ऑपरेटर बहाली के नाम पर धोखाधड़ी कर राशि वसूलने के संबंध में श्री राम द्वारा की गयी स्वीकारोक्ति एवं अधीक्षण अभियंता, पूर्णियाँ द्वारा उपलब्ध कराये गये मंतव्य प्रतिवेदन से श्री राम के विरूद्ध धोखाधड़ी का आरोप प्रथम द्रष्टया प्रमाणित होता है।

07. समीक्षोपरांत श्री राम से प्राप्त स्पष्टीकरण अस्वीकार योग्य पाये जाने के फलस्वरूप बिहार के राज्यपाल यह आदेश देते हैं कि बिहार सरकारी सेवक(वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-17(2) के तहत उनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संस्थित की जाय तथा उक्त विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु श्री मुनीश चन्द्र झा, मुख्य अभियंता(यांत्रिक), लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को जाँच संचालन पदाधिकारी एवं सहायक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अवर प्रमंडल, किशनगंज को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त करते हैं।

08. आरोपित पदाधिकारी श्री राम संकल्प प्राप्ति की तिथि से 10 दिवसों के भीतर उस तिथि एवं उस समय पर, जो जाँच संचालन पदाधिकारी इस निमित्त लिखित नोटिस द्वारा विनिर्दिष्ट करें अथवा उनके द्वारा यथा विनिर्दिष्ट उस अतिरिक्त 10 दिनों से अनधिक अवधि के भीतर, उनके समक्ष उपस्थित होंगे तथा आरोप पत्र में उल्लेखित आरोप के संबंध में अपना लिखित बचाव बयान समर्पित करेंगे।

09. जाँच संचालन पदाधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि वे बिहार सरकारी सेवक(वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-17(2) में निहित प्रावधानों के अनुसार जाँच कार्य संपन्न करेंगे तथा निर्धारित समय-सीमा के भीतर जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध करायेंगे।

10. विषयांकित मामले में आरोपित पदाधिकारी श्री राम के विरूद्ध गठित आरोप पत्र के भाग-4(ख) में सक्षम अनुशासनिक प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त कर साक्षी के रूप में श्री विवेक कुमार, अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल, पूर्णियाँ एवं श्री सुनील कुमार दीपक, कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, किशनगंज को नामित किया गया है।

आदेश:-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति आरोप पत्र (अनुलग्नक सहित) के साथ जाँच संचालन पदाधिकारी श्री मुनीश चन्द्र झा, मुख्य अभियंता(यांत्रिक), लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी सहायक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अवर प्रमंडल, किशनगंज एवं आरोपित पदाधिकारी श्री कैलाशपति राम, तत0 कनीय अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, किशनगंज सम्प्रति सहायक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अवर प्रमंडल, बगहा, प्रमंडल, बेतिया को दी जाय।

11. प्रस्ताव पर सक्षम अनुशासनिक प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

(अरविन्द कुमार)

अपर सचिव

Snklp/Tinku ji

ज्ञापांक-5/आ04-1010/2020- पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:-आरोप पत्र(अनुलग्नक सहित) के साथ जाँच संचालन पदाधिकारी श्री मुनीश चन्द्र झा, मुख्य अभियंता(यांत्रिक), लोक स्वास्थ्य अभियंता विभाग, बिहार, पटना प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी सहायक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अवर प्रमंडल, किशनगंज एवं आरोपित पदाधिकारी श्री कैलाशपति राम, सहायक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अवर प्रमंडल, बगहा, प्रमंडल, बेतिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-
(अरविन्द कुमार)
अपर सचिव

ज्ञापांक-5/आ04-1010/2020- पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:-वित्त(वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-
(अरविन्द कुमार)
अपर सचिव

संख्या-5/आ04-1010/2020- 1956 पटना, दिनांक- 7/10/26

प्रतिलिपि:-सचिव के प्रधान आप्त सचिव/मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, पूर्णियाँ एवं मुजफ्फरपुर/अधीक्षण अभियंता, पूर्णियाँ एवं मोतिहारी/कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, बेतिया/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-01 एवं 02, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना/आई०टी०मैनेजर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

07/10/2026
(अरविन्द कुमार)
अपर सचिव
07-10-26

Snklp/Tinku ji